फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

खुमाराम वगैरा   बनाम   देवाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं ....206......... सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
06.07.17	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि मौजा फूलासर पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खसरा नम्बर 175/113 रकबा 48.08 बीघा में आई हुई है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण हस्तक्षेप, बाधा व दखलअन्दाजी करने व पुरानी माठों को हटाने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 21.08.21017 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी फूलासर पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खसरा नम्बर 175/113 रकबा 48.08 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त एवं हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दखलअन्दाजी, बाधा कारित नहीं करें तथा न ही पुरानी माठो को तोड़ें तथा उक्त आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 21.08.2017 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
9.6.2020	पत्रावली प्रस्तुत हुई, प्रार्थी के अधिवक्ता ... प्रार्थना पत्र ... ने Not Press किया है। प्रार्थना पत्र Not Press में खारिज ... Covid-19 के कारण प्रा. पत्र ... प्रार्थी का अवसर ... जाता है। 9.6.2020	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:44:23 IST
Reason: SelfAttested